

प्रेषक,  
नरेन्द्र कुमार चौधरी,  
विशेष सचिव,  
उ०प्र० शासन।

सेवा में,  
सचिव,  
स्टेट मेडिकल फैकल्टी,  
लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-3

लखनऊ:दिनांक 31 जनवरी, 2008

विषय:-रामा एजुकेशनल सोसायटी द्वारा संचालित रामा इंस्टीट्यूट आफ पैरा मेडिकल साइंसेज, कानपुर को बैचलर आफ फिजियोथिरेपी तथा बैचलर आफ साइंस इन आप्टोमेट्री प्रशिक्षण कोर्स प्रारम्भ करने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-564/08, दिनांक 22-1-2008 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त रामा एजुकेशनल सोसायटी द्वारा संचालित रामा इंस्टीट्यूट आफ पैरा मेडिकल साइंसेज, कानपुर को बैचलर आफ फिजियोथिरेपी तथा बैचलर आफ साइंस इन आप्टोमेट्री प्रशिक्षण कोर्स प्रारम्भ करने हेतु 40 छात्र प्रत्येक पाठ्यक्रम प्रतिवर्ष क्षमता का प्रशिक्षण केन्द्र खोलने हेतु निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन अनिवार्यता प्रमाण पत्र/अनापत्ति प्रदान की जाती है:-

- (1) संस्था द्वारा एक वर्ष के अन्दर प्रशिक्षण हेतु सभी मानक/औपचारिकताएं पूर्ण कर प्रशिक्षण केन्द्र के संचालन की कार्यवाही की जाय।
- (2) संस्था द्वारा राज्य सरकार/उ०प्र० स्टेट मेडिकल फैकल्टी प्रशिक्षण के संबंध में समय-समय पर जारी किये गये समस्त निर्देशों एवं चयन प्रक्रिया का पालन करना अनिवार्य है।
- (3) संस्था का उ०प्र० स्टेट मेडिकल फैकल्टी द्वारा प्रत्येक वर्ष निरीक्षण कराया जायेगा। यदि संस्था द्वारा उ०प्र० स्टेट मेडिकल फैकल्टी/राज्य सरकार के किसी भी दिशा-निर्देश का उल्लंघन किया जाता है तो संस्थान की अनापत्ति/मान्यता समाप्त कर दी जायेगी।

(4)संस्था द्वारा शासनादेश दिनांक 14-10-2005 द्वारा निर्धारित शुल्क फ़ैकल्टी में जमा कर आवश्यक रसीद प्राप्त की जायेगी।

2- कृपया उक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,  
(नरेन्द्र कुमार चौधरी)  
विशेष सचिव।

संख्या- 388 (1)/71-3-08-तददिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0, लखनऊ।
2. प्रबन्धक, रामा एजुकेशनल सोसायटी, कानपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि शासनादेश दिनांक 14-10-2005 द्वारा निर्धारित प्राविधानों के अंतर्गत आवश्यक धनराशि/शुल्क किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित करें।
3. समीक्षा अधिकारी/गार्ड फाइल।

आज्ञा से,  
(नरेन्द्र कुमार चौधरी)  
विशेष सचिव।